ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-1* April-2021
Anthology : The Research

# असंगठित क्षेत्र के भवन निर्माण श्रमिकों पर घातक कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव

# The Impact of Deadly Corona Virus on The Construction Workers of The Unorganized Sector

Paper Submission: 02/04/2021, Date of Acceptance: 23/04/2021, Date of Publication: 25/04/2021

**राजश्री शास्त्री**
शोध निदेशक,
समाजशास्त्र विभाग,
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान,
भोपाल, म०प्र०, भारत

**मयंक दीक्षित**
शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय,
भोपाल, म०प्र०, भारत

**सारांश**

कोरोना वायरस, कोविड–19 का संक्रमण चीन के वुहान शहर से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। इस संक्रमण के प्रसार की गति तथा प्रकृति को देखते हुए इसकी रोकथाम का एकमात्र उपाय सामाजिक दूरी बनाए रखना है। भवन निर्माण श्रमिक प्रायः प्रवासी प्रवृत्ति के होते हैं, जो सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से काम की तलाश में शहरों की ओर आते हैं तथा शिक्षा व कुशलता के अभाव में भवन निर्माण कार्य में ठेकेदारों के माध्यम से संलग्न हो जाते हैं। शहरों में प्रवासी होने की स्थिति में कोरोनावायरस का के संक्रमण का इन पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

The infection of Corona virus, Covid-19 has spread all over the world starting from Wuhan city of China. Considering the speed and nature of the spread of this infection, the only way to prevent it is to maintain social distance. Building workers are often of migrant nature, who usually come from rural areas to cities in search of work and due to lack of education and skills, get involved in construction work through contractors. In the case of migrants in cities, the infection of coronavirus has had an adverse effect on them.

**मुख्य शब्द :** असंगठित क्षेत्र, भवन निर्माण श्रमिक, कोविड–19, कोरोना वायरस, पलायन प्रवास, बेरोजगारी।
Unorganized Sector, Building Workers, Covid-19, Corona Virus, Migration, Unemployment.

**प्रस्तावना**

मार्च 2020 सदियों तक संपूर्ण दुनिया को झकझोर देने वाले और मानवीय क्षमताओं व आविष्कारों की अकड़ को तहस–नहस करने के लिए जाना जाएगा। आज कोरोना वायरस भस्मासुर की तरह मानवता के अंत के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। चीन से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व के सभी देशों को अपने चंगुल में लेने के बाद यह भारत तक आ पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा पहले इसकी रोकथाम के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू तथा उसके बाद सोशल लॉक डाउन का आवाहन किया है। भारत जैसे अधिक आबादी वाले देश में जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए इसकी भयावहता अत्यधिक खतरनाक हो सकती है। सामाजिक निकटता इस वायरस के संक्रमण को फैलाने का मुख्य साधन है, इसलिए सोशल लॉकडाउन के माध्यम से सामाजिक दूरी बनाकर इस वायरस के संक्रमण को फैलने की श्रंखला को तोड़ा जा रहा है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के भवन निर्माण श्रमिकों पर घातक कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव का अध्ययन करना है।

**भवन निर्माण श्रमिक**

भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का 90: से अधिक भाग असंगठित क्षेत्र का है। इस क्षेत्र में आते हैं फेरी लगाने वाले,ठेलों पर सब्जी बेचने वाले, चौकीदार, मोची, धोबी, कारपेंटर, लोहार, भवन निर्माण मजदूर और अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 60% से ज्यादा का योगदान देने वाले इस क्षेत्र में सबसे दयनीय स्थिति में होते हैं भवन निर्माण श्रमिक । यह सामान्यत प्रवासी श्रमिक होते हैं जो प्रायः गांवों से पलायन कर

रोजगार की तलाश में शहरों व महानगरों में आ जाते हैं। अशिक्षित एवं अकुशल होने के कारण भवन निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित हो जाते हैं। अत्यंत कम मजदूरी पर ठेकेदार की शर्तों पर कार्य करने को मजबूर यह श्रमिक अपने परिवार सहित निर्माण स्थलों पर ही अस्थाई झोपड़ियों में निवास करते हैं, जहां न तो कोई सुविधा होती है नहीं स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित वातावरण।

**कोरोना वायरस का संक्रमण और उसका दुष्प्रभाव**

कोरोना के दुष्प्रभाव के चलते टोटल लॉक डाउन की स्थिति में सभी निर्माण कार्य बंद हो चुके हैं, श्रमिक और परिवार निर्माण स्थलों पर ही फंसे हुए हैं, आवागमन के साधनों के अभाव में वे अपने घरो को भी नहीं जा पा रहे हैं। बचत खत्म हो चुकी है तथा दुकानें बंद है भूख से मरने की नौबत आती जा रही है । इस संक्रमण ने निर्माण श्रमिक को चारों ओर से तोड़ कर रख दिया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। असुरक्षा के आवरण में जागरूकता के अभाव में, अपने घर पहुंचने की जल्दी में वायरस से सुरक्षा के उपायों की अनदेखी करते हुए सैकड़ों की संख्या में पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करे जा रहे हैं । स्थिति भयावह है। हमारी अर्थव्यवस्था व सामाजिक ढांचा भले ही लंबे समय बाद पटरी पर आने को तैयार हो पाए लेकिन श्रमिकों का यह वर्ग पूरी तरह से टूट चुका होगा।

सरकार द्वारा स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सर्वप्रथम 22 मार्च 2020 को ''जनता कर्फ्यू'' का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया तथा उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए ''टोटल लॉक डाउन" किया गया है।

असंगठित क्षेत्र के इन भवन निर्माण श्रमिकों के संबंध में कोई भी योजना या सहायता पहुंचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है :-

किसी भी शहर या महानगर में निर्माण श्रमिकों की संख्या का वास्तविक आंकड़ा नहीं है।

दूसरा सभी निर्माण श्रमिक पंजीकृत नहीं है इसलिए उनका विवरण उपलब्ध नहीं है।

यद्यपि कई राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में भवन निर्माण श्रमिकों को अंतरिम सहायता के रूप में उनके खाते में तुरंत सहायता राशि देने की घोषणा की गई है , लेकिन वास्तविक संख्या और पंजीयन के अभाव में व्यक्तिगत और बैंक खाते का विवरण उपलब्ध ना होने के कारण यह किया जाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है।

**निष्कर्ष**

वर्तमान अप्रत्याशित और आपातकालीन परिस्थितियों में भवन निर्माण श्रमिकों के जीवन के लिए अत्यावश्यक कदम तुरंत उठाए जाने की आवश्यकता है जो कि सरकार द्वारा उठाए भी जा रहे हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता है अपने घरों से दूर रहने वाले श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाना तथा उनके स्वास्थ्य की जांच कर यह सुनिश्चित करना कि वह स्वयं स्वस्थ रहें तथा दूसरों के लिए सुरक्षित भी हों, यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है।

भविष्य में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आपको तैयार रखने के लिए निम्न सुझाव है:–

पहला, किसी भी तरह के किसी भी निर्माण कार्य में नियोजित प्रत्येक श्रमिक का पंजीकरण हो।

दूसरा, प्रवासी श्रमिकों की स्थिति में जहां से श्रमिक जा रहा है और जहां पर श्रमिक जा रहा है दोनों प्रशासन के पास उसका विवरण हर स्थिति में उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

तीसरा, श्रमिकों के हित में निर्माण कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण अवश्य होते रहना चाहिए ताकि वहां की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके तथा प्रबंधन व ठेकेदारों में नियमों के पालन के प्रति सजगता बनी रहे।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची**

1. *बांगिया जे. डी. –भवन एवम अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवम सेवा शर्तों का विनियमन)अधिनियम 1996 –सुविधा लॉ हाउस प्राइवेट लिमिटेड 2003*
2. *रेड्डी जी. एल .– Education for unorganized sector - APH publishing 2007*
3. *Tiwari R.S. - Informal sector workers : Problems and Prospects - Anmol Publication, New Delhi, 2005*
4. *Sharma A.M. - Welfare of Unorganized labour - Himalaya Publishing House, 2008*
5. *दैनिक भास्कर, भोपाल संस्करण*
6 *पत्रिका, भोपाल संस्करण*
7. *Bagchi Kanak Kanth - Gobi Nirupam - Social security for unorganized workers in india &madhav books, Gurgaon, 2012*